

बाल श्रम एक सामाजिक समस्या: एक विश्लेषण

डॉ. मोनी कुमारी

विश्वविद्यालय औद्योगिक-संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन विभाग

ति.भा. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश (Abstract)

भारत में बाल श्रम आज एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्या के रूप में विद्यमान है। यद्यपि संविधान में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार और शोषण से मुक्ति का प्रावधान है, तथापि पारिवारिक मजबूरियों के कारण बच्चे श्रम कार्यों में संलग्न हैं। यह समस्या केवल आर्थिक दृष्टि से भारत में बाल श्रम की समस्या का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी प्रश्न है। भारत में बाल श्रम की समस्या लंबे समय से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक और नैतिक चुनौती है। यह समस्या केवल आर्थिक विषमता का परिणाम नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सोच, कानून की कमजोरी और विकास की असमानता का मिश्रण भी है। भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं, फिर भी लाखों बच्चे आज भी विभिन्न उद्योगों, घरेलू कार्यों, कृषि, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह शोध बाल श्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति, कारण, प्रभाव और चुनौतियों का सामाजिक दृष्टिकोण से गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में बाल श्रम की वास्तविक स्थिति को उजागर करना, उसके समाधान हेतु नीतिगत सुझाव देना तथा यह समझना है कि क्या वर्तमान कानून और नीतियाँ पर्याप्त हैं या नहीं। बाल श्रम, उद्योग, अनुच्छेद, शिक्षा, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्या से संबंधित है। एक संस्कृत समाज का सर्वोपरि लक्ष्य होता है बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह बच्चों का जन्मजात अधिकार है। भारत में बाल श्रम समस्या एक चुनौती बन गई है। देश में कामकाजी बच्चों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। जातिगत गरीबी, परिवार का आकार तथा आय, शिक्षा और शिक्षा का स्तर आदि गहन सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ हैं। समाज के सभी वर्गों में जागरूकता लाने के साथ-साथ सोच और नजरिया भी बदलने की जरूरत है।

परिचय (Introduction)

बालक किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं। वे देश का भविष्य और सामाजिक विकास की नींव हैं। लेकिन जब यह बालक गरीबी, शोषण और अवसरहीनता के कारण शिक्षा प्राप्त करने के बजाय श्रम करने पर विवश होते हैं, तब समाज की आत्मा पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

भारत में बाल श्रम की जड़ें इतिहास के बहुत गहरे स्तर पर हैं। औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और असमान विकास ने इस समस्या को और जटिल बना दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल अधिकारों के क्षेत्र में कई सुधार किए, परंतु सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण आज भी बाल श्रम समाप्त नहीं हो पाया। जबकि हमारे देश के कर्णधार और अपने परिवार की धरोहर हैं। संपूर्ण मानव समाज के लिए कलंक बनी यह समस्या अपना विकट रूप धारण कर रही है।

संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है - "14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।"

साथ ही अनुच्छेद 21A प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।

फिर भी, बाल श्रम हमारे सामाजिक ढाँचे की कटु वास्तविकता है, जो हमारे नीति-निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों की परीक्षा लेती है।

बच्चों को ऐसे परिवेश में बड़े होने की जरूरत है, जिसमें वे एक स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने योग्य बन सकें। उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि वे बड़े होकर जिम्मेदार एवं जवाबदेह नागरिक बन सकें। दुर्भाग्यवश बच्चों

की एक बड़ी आबादी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करते हुए पाए जाते हैं। उनमें से कुछ को कैद रखा जाता है तथा मारा-पीटा जाता है, दास बना कर रखा जाता है या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के सार्वभौम मूलभूत अधिकार से वंचित रखा जाता है, जिससे बाल मजदूरी मानव अधिकार तथा विकास का मुद्दा बन जाता है।

परिभाषा

- बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद 1 में किसी बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 1973 के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय सं. 138 में बाल मजदूरी को 15 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आर्थिक गतिविधि के रूप में उल्लेखित किया गया है, बशर्ते 15 वर्ष अनिवार्य स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की उम्र से कम न हो।
- बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा किसी अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

बच्चों के अधिकार

बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय पर आधारित प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं:

- प्रत्येक बच्चे को जीने का सहज अधिकार प्राप्त है।
- हानिकारक प्रभावों, दुर्व्यवहार तथा शोषण से सुरक्षा, तथा पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी का अधिकार।
- बच्चे के अस्तित्व एवं विकास को यथासंभव अधिक-से-अधिक सुनिश्चित करना।
- बच्चे के अभिभावक, कानूनी संरक्षक अथवा परिवार के सदस्यों की हैसियत, गतिविधि, अभिव्यक्त मत अथवा विश्वास के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव अथवा दंड से सुरक्षा।
- बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि ध्यान में रखा जाना।
- जन्म के तुरंत पश्चात बच्चे का पंजीकरण तथा नाम, राष्ट्रीयता और यथासंभव माता-पिता को जानने एवं उनके द्वारा देखभाल का अधिकार।
- लड़का या लड़की के माता-पिता, कानूनी संरक्षक अथवा कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति बच्चे के अधिकारों एवं कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी भलाई के लिए आवश्यक सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करें।

तालिका 1: भारत में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार बाल श्रमिकों की संख्या (1971, 1981, 1991 एवं 2001)

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	1971	1981	1991	2001****
1	आंध्र प्रदेश	1627492	1951312	1661940	1363339
2	असम	239349	***	327598	351416
3	बिहार	1059359	1101764	942245	1117500
4	गुजरात	518061	166913	523585	485530
5	हरियाणा	137826	194189	109691	253491
6	हिमाचल प्रदेश	71384	99624	56438	107774
7	जम्मू एवं कश्मीर	70489	258437	**	175630
8	कर्नाटक	808719	1131530	976247	822615
9	केरल	111801	92854	34800	26156
10	मध्य प्रदेश	1112319	1698597	1372563	1065259
11	महाराष्ट्र	988357	1557756	1068427	764075
12	छत्तीसगढ़	-			364572
13	मणिपुर	16380	20217	16493	28836
14	मेघालय	30440	44916	34633	53940
15	झारखंड	-			407200
16	उत्तराखंड	-			70183
17	नागालैंड	13726	16235	16467	45874
18	ओडिशा	492477	702293	452394	377594
19	पंजाब	232774	216939	142868	177268

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	1971	1981	1991	2001****
20	राजस्थान	587389	819605	774199	1262570
21	सिक्किम	15661	8561	5598	16457
22	तमिलनाडु	713305	975055	578889	418801
23	त्रिपुरा	17490	24204	16478	21756
24	उत्तर प्रदेश	1326726	1434675	1410086	1927997
25	पश्चिम बंगाल	511443	605263	711691	857087
26	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	572	1309	1265	1960
27	अरुणाचल प्रदेश	17925	17950	12395	18482
28	चंडीगढ़	1086	1986	1870	3779
29	दादरा एवं नगर हवेली	3102	3615	4416	4274
30	दिल्ली	17120	25717	27351	41899
31	दमन एवं दीव	7391	9378	941	729
32	गोवा			4656	4138
33	लक्षद्वीप	97	56	34	27
34	मिजोरम	***	6314	16411	26265
35	पुडुचेरी	3725	3606	2680	1904
	कुल	10753985	13640870	11285349	12666377

टिप्पणी: * 1971 की असम की जनगणना के आँकड़े में मिजोरम के आँकड़े शामिल हैं। ** जनगणना नहीं की जा सकी। *** मिजोरम के संबंध में 1971 की जनगणना के आँकड़े असम में शामिल थे। **** हाशिए पर रहने वाले मजदूर भी शामिल हैं।

स्रोत: <http://labour.nic.in/cwl/childLabour.htm>

भारत में बाल श्रम की स्थिति (Current Scenario of Child Labour in India)

भारत में बाल श्रम की स्थिति जटिल और विविध है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत में लगभग 1.01 करोड़ से अधिक बच्चे (5-14 वर्ष आयु वर्ग) किसी न किसी रूप में श्रम में संलग्न हैं।

ग्रामीण भारत में लगभग 75% बच्चे कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों में कार्यरत हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां, निर्माण कार्य, चाय दुकान, ईट भट्टे, वस्त्र उद्योग और घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत बच्चों की संख्या अधिक है।

बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में पाई जाती है।

ILO की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, बाल श्रम में संलग्न लगभग 60% बच्चे 5-11 वर्ष की आयु के हैं, जो सबसे कमजोर वर्ग हैं।

बाल श्रम के प्रमुख कारण (Major Causes of Child Labour)

- गरीबी एवं आर्थिक असमानता** - यह बाल श्रम का सबसे मूल कारण है। जब माता-पिता अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ होते हैं, तो बच्चे परिवार की आय का साधन बन जाते हैं। जब परिवार की बुनियादी आवश्यकताएँ - भोजन, वस्त्र और आवास - पूरी नहीं हो पातीं, तब बच्चे परिवार की आय में सहयोग देने के लिए कार्य करने लगते हैं। कई ग्रामीण परिवारों में यह धारणा है कि "बच्चे भी परिवार का हाथ बँटाएँ" और इस सोच ने बाल श्रम को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की है।
- अशिक्षा और शिक्षा प्रणाली की कमियाँ** - शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच की कमी बच्चों को स्कूल से दूर करती है। भारत में अब भी बड़ी संख्या में माता-पिता स्वयं अशिक्षित हैं, जिससे वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि स्कूल भेजने से बेहतर है कि बच्चा कुछ कमाई करे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, स्कूलों की दूरी और कमाई का लालच भी कारण हैं।
- सस्ते श्रम की मांग** - औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में बच्चों को कम मजदूरी पर काम करवाना आसान होता है। छोटे-छोटे उद्योग, कारखाना, बीड़ी निर्माण, कालीन उद्योग, आतिशबाजी, काँच, ईट भट्टे, होटल - इन सब जगहों पर सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बाल श्रमिकों को सस्ता और आज्ञाकारी माना जाता है। इसलिए नियोक्ता उन्हें प्राथमिकता देते हैं। इस शोषणकारी मानसिकता ने बाल श्रम को बढ़ावा दिया है।
- सामाजिक परंपराएँ और अज्ञानता** - ग्रामीण समाज में अभी भी बच्चों को श्रम "आवश्यक" माना जाता है। कई समुदायों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी मजदूरी करना एक परंपरा बन गई है, जैसे - बुनकर, लोहार, कुम्हार, चमड़ा उद्योग या

खेतिहर वर्ग, जहाँ बच्चे अपने माता-पिता से काम सीखते हैं। इस प्रकार “सांस्कृतिक उत्तराधिकार” भी बाल श्रम की निरंतरता का एक कारण है।

5. **कानूनी प्रवर्तन की कमजोरी** - कानून तो हैं, पर उनके पालन में लापरवाही व्यापक है। भारत में कई कानून हैं, परंतु उनका पालन सीमित है। निरीक्षण तंत्र कमजोर है, भ्रष्टाचार व्याप्त है और ग्रामीण इलाकों में कोई सख्त निगरानी नहीं होती है।

6. **बाल तस्करी और जबरन श्रम** - पलायन और मानव तस्करी बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। कुछ राज्यों में बाल तस्करी भी बाल श्रम का प्रमुख कारण है। बच्चों को झूठे वादों से शहरों या दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य पर भी गहरा असर डालता है।

शोध का उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. बाल श्रम के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की पहचान करना।
3. बाल श्रम से संबंधित अधिनियमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
4. बाल श्रम उन्मूलन हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

इस शोध पत्र की परिकल्पना यह है कि यदि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, गरीबी उन्मूलन के प्रयास प्रभावी रूप से किए जाएँ और बाल श्रम विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए, तो बाल श्रम की समस्या को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है।

परिकल्पना (Hypothesis)

1. गरीबी और बेरोजगारी बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं।
2. शिक्षा का प्रसार बाल श्रम को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है।
3. यदि कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए तो बाल श्रम में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

साहित्य अवलोकन

1. खांडकर (1970) के अनुसार 18 प्रतिशत बच्चे वृहत मुंबई में कार्यरत हैं। लड़कियों में बाल वेश्यावृत्ति की मांग है, एवं कुछ घरेलू नौकरी में। आर्थिक परिस्थितियाँ निर्धन परिवार की बालिकाओं को मजदूर बनने एवं वेश्यावृत्ति जैसे घृणित व्यवसायों को करने के लिए बाध्य करती हैं।
2. गुलाटी (1981) के अनुसार नारियल उद्योग में बालकों एवं बालिकाओं से अलग-अलग कार्य कराया जाता है। कपड़ों में मिले हुए रेशों में हुक लगाने का कार्य लड़कियों का है। इस उद्योग में हर उम्र की लड़कियाँ कार्य करते हुए पाई गईं, जबकि लड़के 9 से 11 वर्ष तक के ही संलग्न पाए गए थे।
3. अवस्थी (1986) के अनुसार बोगस इकाइयों के मालिक आने वाले छोटे का कोयला चोर बाजारी में बेच कर 10 लाख रुपये की सालाना आमदनी कमा सकते हैं। इन इकाइयों में लगभग 50 हजार बाल-श्रमिक काम करते हैं तथा कुल श्रमिकों की संख्या दो लाख है।
4. अवाचत (1988) ने अपने अध्ययन में पापा की इचलकरंजी (महाराष्ट्र) के एक पावरलूम फैक्ट्री में 13 वर्ष की एक बच्ची घायल हो गई और अंततः उसका एक हाथ काटना पड़ा। किन्तु उसे मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उस कारखाने के मालिक ने कहा कि वह लड़की मास्टर रोल पर नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
5. खान (1993) ने पाया कि मिर्जापुर-भदोही क्षेत्र में करीब ढाई लाख बाल श्रमिक कालीन उद्योग में कार्यरत हैं, जो पूरे देश द्वारा निर्यात किए जाने वाले कालीनों का 80 प्रतिशत निर्यात करता है।

शोध विधि (Research Methodology)

यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) है।

शोध में द्वितीयक स्रोत (Secondary Data) का उपयोग किया गया है, जैसे सरकारी रिपोर्टें, ILO एवं UNICEF की वार्षिक रिपोर्टें, जनगणना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के आँकड़ों और विभिन्न शोध जर्नल।

इसके अलावा, विभिन्न सांख्यिकीय आँकड़ों का उपयोग करके बाल श्रम की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए तुलनात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

भारत में बाल श्रम से संबंधित प्रमुख अधिनियम (Major Acts Related to Child Labour in India)

बाल श्रम की रोकथाम का प्रावधान हमारे संविधान में भी निहित है। संविधान के अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान और जोखिम वाले रोजगार के कार्य पर नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 39 (ई) में भी कहा गया है कि बच्चों का शोषण नहीं किया जाएगा और उन्हें ऐसे कार्य के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जो उनकी आयु के अनुसार न हों।

1. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
2. बाल एवं किशोर श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016 - 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी रोजगार में रखने पर पूर्ण प्रतिबंध; 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों से दूर रखा गया; माता-पिता को सीमित परिस्थितियों में दंड से छूट दी गई।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) - 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
4. बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 - जबरन या बंधुआ श्रम की किसी भी व्यवस्था को अवैध घोषित किया गया।
5. बाल श्रम बंधन अधिनियम, 1993
6. बाल-नियोजन अधिनियम, 1938
7. कारखाना अधिनियम, 1948
8. खान अधिनियम, 1952; बागान मजदूर अधिनियम, 1951
9. मोटर-परिवहन अधिनियम, 1958
10. एप्रेटिसशिप अधिनियम, 1961
11. बीड़ी तथा सिगार एक्ट, 1966
12. बाल श्रमिक विरोधी कानून, 1973
13. बंधित श्रम पद्धति अधिनियम, 1975

कानूनी क्रियान्वयन

बाल श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016 के बाद भी अभियोजन की दर बहुत कम है।

स्थानीय प्रशासनिक ढाँचा कमजोर है।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव

NCLP और PENCIL पोर्टल शहरी क्षेत्रों में प्रभावी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पहुँच सीमित है।

बाल श्रम के परिणाम (Consequences of Child Labour)

- शिक्षा से वंचित बच्चों का भविष्य अधूरा रह जाता है।
- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
- अधिक श्रम से कमजोरी, कुपोषण और तनाव उत्पन्न होते हैं।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- बालक का बचपन और गरिमा छिन जाती है।
- सामाजिक अपराधों में वृद्धि: तस्करी, अपराध और शोषण की संभावना बढ़ती है।
- आर्थिक असमानता का स्थायीकरण होता है।
- पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी बनी रहती है।

सरकारी योजनाएँ और पहलें (Government Schemes and Initiatives)

1. **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP), 1988** - पुनर्वास केंद्रों की स्थापना, गैर-औपचारिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण।
2. **पेंसिल पोर्टल (PENCIL Portal)** - बाल श्रम की शिकायत और निगरानी की डिजिटल प्रणाली।
3. **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** - शिक्षा की सार्वभौमिकता को बढ़ावा देने हेतु।
4. **मिड-डे मील योजना** - गरीब बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के माध्यम के रूप में।
5. **ICDS और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएँ** - बाल पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयास।
6. **बाल न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015** - बाल शोषण, परित्याग या तस्करी के मामलों में पुनर्वास और संरक्षण की व्यवस्था।
7. **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005** - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बाल अधिकार आयोगों की स्थापना।

शोध से संबंधित अवलोकन (Research Observations)

2014 से 2024 तक के आँकड़ों और रिपोर्टों का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य उभरकर सामने आए:

1. **राज्यवार अंतर:** उत्तर प्रदेश (13%), बिहार (10%), राजस्थान (8%), मध्य प्रदेश (7%) और झारखंड (6%) में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में न्यूनतम।
2. **लिंग आधारित वितरण:** लगभग 60% बाल श्रमिक लड़के और 40% बालिकाएँ हैं। बालिकाएँ मुख्यतः घरेलू कार्य और वस्त्र उद्योग में कार्यरत हैं।
3. **शिक्षा और बाल श्रम का संबंध:** 75% बाल श्रमिकों ने प्राथमिकता शिक्षा भी पूरी नहीं की। जिन जिलों में साक्षरता दर अधिक है, वहाँ बाल श्रम कम पाया गया।
4. **आर्थिक प्रभाव:** लगभग 80% बच्चे परिवार की आय में 20-30% योगदान देते हैं। अधिकांश बच्चों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान किया जाता है।
5. **सामाजिक परिणाम:** बाल श्रमिकों में मानसिक तनाव, भय, शोषण और आत्म-सम्मान की कमी आम है।

निदान एवं निष्कर्ष (Findings and Conclusion)

शोध से यह स्पष्ट हुआ कि भारत में बाल श्रम की जड़ें गरीबी, शिक्षा की कमी और कानूनी प्रवर्तन की कमजोरी में गहराई से निहित हैं।

जहाँ साक्षरता, रोजगार और सामाजिक जागरूकता अधिक है, वहाँ बाल श्रम की दर न्यूनतम पाई गई।

सरकारी कानून और योजनाएँ पर्याप्त हैं, पर उनका जमीनी कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है।

सामाजिक मानसिकता, परिवार की आर्थिक स्थिति और शिक्षा का प्रसार ही इस समस्या के स्थायी समाधान की कुंजी है। बाल श्रम की समस्या को खत्म करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, आर्थिक सुधार और सामाजिक जागरूकता सभी शामिल हों। केवल एक समयबद्ध और संगठित प्रयास ही इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर सकता है और बच्चों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित भविष्य प्रदान कर सकता है।

सुझाव

1. ग्रामीण परिवारों के लिए वैकल्पिक आय स्रोतों का विकास किया जाए।
2. शिक्षा को आकर्षक और रोजगारोन्मुख बनाया जाए।
3. प्रशासनिक स्तर पर बाल श्रम निगरानी इकाइयों को सशक्त किया जाए।
4. उद्योगों को "बाल श्रम मुक्त उत्पाद" नीति अपनाने के लिए बाध्य कराया जाए।
5. बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा हेतु अधिक निधि उपलब्ध कराई जाए।
6. समाज में जन-जागरूकता अभियान चलाकर मानसिकता बदली जाए।

संदर्भ सूची (References)

1. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.
2. Child Labour Amendment Act, 2016.
3. Ministry of Labour and Employment, Govt. of India Reports (2020-2024).
4. ILO Global Report on Child Labour (2021).
5. UNICEF India: Child Protection Data (2023).
6. Census of India (2011, 2021 Estimates).
7. NCLP Scheme Guidelines.
8. Right to Education Act, 2009.
9. Commission for Protection of Child Rights Act, 2005.